

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 551] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 1980/अग्रहायण 15, 1902
No. 551] NEW DELHI SATURDAY, DECEMBER 6, 1980/Agrahayana 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1980

का. आ. 943(अ) :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)
की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
सरकार एतद्वारा दिसम्बर, 1980 के 7वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत
करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा

(1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“ज़िला कपूरथला में
राजस्व ग्राम शेखपुरा
हद बस्त नं. 133” ।

[संख्या एस-38013/17/80-एच. आई.]

अनूप पूनन, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1980

S.O. 943(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the seventh day of December, 1980 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Punjab, namely:—

“Revenue village Sheikhpora
Had Bast No. 133
in the District of Kapurthala”.

[No. S-38013/17/80-HI]

A. POONEN, Dy. Secy.